

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

गणना पर आधारित कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय में नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य प्राधिकारी में नाम नै।
सम्बन्धित विषय पर परि पूर्व में एक मसौदा हुआ हो तो एक प्रमाण एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे बिनासे स्वीकार नै।



आम : मुंबई/विधि
दूरभाष : 0291-(0751) 2442401
(विचारधारा)
2442462 (गिफत)
फैक्स : (0291-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwal@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

प्रमाणक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5786

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पत्र क्रमांक (02) के निर्णयानुसार ग्वालियर विधि महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. परिधियम 27 एवं 28(17) के अनुसार प्राचार्य की नियुक्ति की जावे।
2. एकवर्षिक वर्ष में 50,000/- की फुलकॉ एम् जजल्स प्रत्येक वर्ष किये जावे।
3. स्वयं के भवन में महाविद्यालय स्थापनाकरित शीघ्र किया जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

- 1 प्राचार्य, ग्वालियर विधि महाविद्यालय, ग्वालियर
- 2 सचिव, बार कॉन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राज एवेन्यू, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
- 3 आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 4 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-धबल संगम, मोती मठल परिसर, ग्वालियर।
- 5 उप-कुलसचिव (परीक्षा/ओपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 6 अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)